द्वितीय स्मरण–पत्र

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:एफ.29( )फायर/विविध/डीएलबी/2021/ 18316 दिनांक: 7-10-2022

संयुक्त शासन सचिव,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
जयपुर।

विषयः– फायरसेस सम्बन्धी उपविधियों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन हेतु।
प्रसंगः– विभागीय पत्र क्रमांक:एफ.29( )फायर/विविध/डीएलबी/2021/13083 दिनांक: 06.06.2022 एवं क्रमांक 18255 दिनांक 19.09.2022 के संबंध में।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में फायरसेस सम्बन्धी उपविधियों के मार्गदर्शन/निर्माण/चर्चा हेतु शासन सचिव एवं निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात् गठित समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर सूचना मंगवाये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. फायरसेस सम्बन्धी उपविधिया दिनांक 21.01.2020 सकल निर्माण क्षेत्र पर लागू है या कुल गणना क्षेत्र पर।
2. उक्त उपविधियों अनुसार फायरसेस का भुगतान एकमुश्त भुगतान के रूप में किया जाना है या इसे वार्षिक रूप से नवनीकृत किया जाना है।
3. उक्त उपविधियां केवल नगरीय निकायों पर लागू है या उन सभी निकायों पर लागू है, जिनके द्वारा फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है।

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर सूचना अविलम्ब विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.29( )फायर/विविध/डीएलबी/2021/18317-18326 दिनांक: 7-10-2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
04. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
05. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
06. उपायुक्त (फायर), नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
07. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम जयपुर ग्रेटर।
08. कनिष्ठ विधि अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
09. प्रोग्रामर आई.टी.सेल को विभागीय साईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

E/latter&21

Scanned by TapScanner